

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

भू-अर्जन शाखा

(अधिघोषणा)

पत्रांक - 2225/आर0, पटना, दिनांक - 11-09-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि अररिया जिला के फारबिसगंज अंचल, नगर पंचायत जोगबनी अन्तर्गत मौजा दक्षिण महेश्वरी थाना नं0-175 में जोगबनी (भारत) से विराटनगर (नेपाल) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु बिहार, सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित की जरती है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा-दक्षिण माहेश्वरी, थाना नं0-175 के भीतर भूमि के एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश रकवा 64.84.320 एकड़ (चौसठ एकड़ चौरासी डी0 तीन सौ बीस वर्गकड़ी) के बराबर है, जिसका प्लोट संख्या निम्नांकित है :-

क्रमांक	खाता	खेसरा	रकवा
1	2	3	4
1	472	399 अंश	0.07
2	472	400 अंश	0.47
3	144	401 अंश	0.30
4	412	402 अंश	0.93
5	72	403 अंश	0.03
6	470	404 अंश	0.4.300
7	470	406 अंश	0.09
8	470	409 अंश	0.10
9	262	414 अंश	0.3.700
10	262	416 अंश	0.18.900
11	262	417 अंश	0.20
12	262	418 पूर्ण	0.23
13	262	419 अंश	0.18.500
14	104	423 अंश	0.37.500
15	470	424 अंश	0.08
16	52	425 अंश	0.2.352
17	52	428 अंश	0.41.500
18	357	429 अंश	0.25
19	396	430 पूर्ण	0.02
20	396	431 अंश	0.5.225
21	396	432 अंश	0.1.600
22	63	443 अंश	0.60.300
23	69	444 अंश	0.1.300
24	426	446 अंश	0.8.725
25	150	447 अंश	0.00.400
26	150	448 अंश	0.1.800
27	150	449 अंश	0.00.200
28	150	450 अंश	0.01
29	150	451 अंश	0.07
30	150	452 अंश	0.97
31	426	453 अंश	0.04.550
32	426	454 अंश	0.51
33	426	455 अंश	0.6
34	151	456 अंश	0.23
35	151	457 अंश	0.7.400
36	147	461 अंश	0.5.500

37	147	462	अंश	0.07
38	444	477	अंश	0.20
39	208	478	अंश	0.37
40	208	480	अंश	0.00.675
41	208	481	अंश	0.33
42	142	482	अंश	0.21
43	142	483	पूर्ण	0.74
44	470	484	पूर्ण	0.23
45	470	485	अंश	0.20
46	214	500	अंश	0.04
47	182	501	अंश	0.37
48	399	502	पूर्ण	0.06
49	202	503	अंश	0.53
50	399	504	अंश	0.20.100
51	214	505	अंश	0.64.400
52	145	506	पूर्ण	0.18
53	139	507	पूर्ण	0.40
54	203	508	पूर्ण	0.71
55	202	509	पूर्ण	0.04
56	152	510	पूर्ण	0.17
57	152	511	अंश	0.41
58	145	512	पूर्ण	0.18
59	35	513	पूर्ण	0.23
60	35	514	पूर्ण	0.18
61	145	515	पूर्ण	0.62
62	467	516	पूर्ण	0.13
63	467	517	पूर्ण	0.45
64	399	518	पूर्ण	0.65
65	402	519	पूर्ण	0.19
66	130	520	अंश	0.49.100
67	214	522	अंश	0.97.163
68	444	523	पूर्ण	0.32
69	19	524	अंश	0.68
70	208	525	अंश	0.67
71	203	544	अंश	1.45
72	214	545	पूर्ण	0.82
73	214	546	अंश	0.48
74	449	547	अंश	0.2
75	429	551	अंश	0.32.800
76	205	552	अंश	0.42
77	398	553	पूर्ण	0.56
78	403	554	पूर्ण	1.58
79	76	555	अंश	0.59
80	32	556	अंश	0.46.150
81	37	557	अंश	0.73.100
82	375	558	पूर्ण	0.29
83	305	559	पूर्ण	0.54
84	204	560	पूर्ण	0.49
85	286	561	पूर्ण	0.40
86	267	562	अंश	0.24.400
87	267	563	अंश	0.2
88	464	564	अंश	0.28.375

89	470	594	अंश	0.08.500
90	399	595	अंश	0.56.650
91	130	596	अंश	0.4
92	206	599	अंश	0.00.680
93	34	600	अंश	0.00.500
94	442	1487	अंश	0.70.100
95	204	1488	पूर्ण	0.40
96	286	1489	पूर्ण	0.39
97	153	1490	अंश	1.85
98	5	1491	अंश	0.58.150
99	161	1492	अंश	0.53
100	9	1584	अंश	0.22
101	260	1585	पूर्ण	1.14
102	95	1586	पूर्ण	0.39
103	8	1587	अंश	1.38
104	365	1588	पूर्ण	0.6
105	359	1589	पूर्ण	0.82
106	359	1590	अंश	0.61
107	259	1593	अंश	0.11
108	46	1594	पूर्ण	0.80
109	353	1595	पूर्ण	0.63
110	266	1596	अंश	0.25
111	237	1597	पूर्ण	1.18
112	290	1598	पूर्ण	1.19
113	390	1599	अंश	1.82
114	9	1600	अंश	0.14.300
115	260	1602	अंश	0.14.200
116	219	1603	पूर्ण	0.32
117	150	1604	पूर्ण	0.68
118	254	1605	अंश	0.9.100
119	254	1606	अंश	0.26
120	251	1611	अंश	0.15.225
121	462	1630	अंश	3.23
122	138	443 1674	पूर्ण	0.03
123	64	441 1675	अंश	0.00.500
124	462	1630 1689	अंश	0.95
124 1	462	1630 1689	अंश	3.18
125	167	1661 1688	अंश	0.92.400
126	346	1628 1692	अंश	3.80
कुल अर्जनाधीन भूमि -				64.84.320

चौहद्दी :- उत्तर - खेसरा सं० 399, 400, 401, 425, 428, 429, 431, 446, 447, 450, 497, 501, 500, 503, 514, 505, 599, 600, 595, 596, 520, 547, 546, 552, 551, 564, 363


दक्षिण :- खेसरा सं० 402, 403, 416, 417, 414, 419, 423, 461, 457, 554, 353, 482, 481, 480, 478, 477, 524, 525, 544, 556, 555, 557

पूरब - खेसरा सं० 557, 558, 1489, 1482 1487 इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट

पश्चिम - रेलवे (भारत सरकार)


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा स्लैट, अन्य खनिज अथवा खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3(क) खण्ड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।


27/7/13
समाहर्ता,
अररिया

बिहार राज्यपाल के आदेश से
३/०
सरकार के ^{उप} सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना

- ज्ञापांक २२२५/भू-अर्जन, पटना दिनांक...-11-09-13.....
- प्रतिलिपि : निदेशक, जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : उप समाहर्ता, प्रभारी जिला गजट, अररिया समाहरणालय के जिला गजट के अलावे अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस-दस (10-10) प्रतियों इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : समाहर्ता, अररिया / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के ^{उप} सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।